सत्यमेव जयते

कुलाधिपति
Chancellor

राजस्थान तकनीकी
...............................विश्वविद्यालय,
..................................University,
राज भवन, जयपुर – 302006
Raj Bhawan, Jaipur

क्रमांक : एफ.34(2)आरबी/2025/4755
दिनांक : 28 अगस्त, 2025

आदेश

राजभवन के आदेश क्रमांक 4250–51 दिनांक 13.08.2022 द्वारा प्रो. संतोष कुमार सिंह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि हेतु या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक इनमें से जो भी पहले हो के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा का कुलगुरू नियुक्त किया गया था।

प्रो. संतोष कुमार सिंह द्वारा दिनांक 30.08.2022 को कुलगुरू पद का कार्यभार संभाला गया। इनका तीन वर्ष का कार्यकाल दिनांक 29.08.2025 को पूर्ण होने जा रहा है।

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) की धारा 11(3) के अनुसार नियमित कुलगुरू की नियुक्ति में समय लगने की संभावना है।

अतः मैं, हरिभाऊ बागडे, राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा उक्त विश्वविद्यालय के अधिनियम 2006 (यथा संशोधित) की धारा 11(9) व 11(10) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार की सलाह से प्रो. (डॉ) भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरू, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा को अग्रिम आदेशों अथवा नियमित कुलगुरू की नियुक्ति होने तक, जो भी पहले हो, कामचलाऊ व्यवस्था (Stop gap arrangement) अन्तर्गत अतिरिक्त प्रभार के रूप में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा के कुलगुरू पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए निर्देशित करता हूँ।

हस्ता0

(हरिभाऊ बागडे)
राज्यपाल, राजस्थान एवं कुलाधिपति

क्रमांक : एफ.34(2)आरबी / 2025 / 4756 दिनांक : 28 अगस्त, 2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रो. (डॉ) भगवती प्रसाद सारस्वत, कुलगुरू, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
5. कुलसचिव, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
6. कुलसचिव, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा।
7. प्रभारी अधिकारी, आई.टी. सैल, राजभवन, जयपुर को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान